रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258523 CG-DL-E-07112024-258523

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4464]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946

No. 4464]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2024

का.आ. 4845(अ).—केंद्र सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5621 (अ) तारीख 2 नवम्बर, 2018 और का.आ. 5622 (अ) तारीख 2 नवम्बर, 2018 को अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी करती है; अर्थात

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी कंपनियां जिनका आवर्त 250 करोड़ रुपए (दो सौ पचास करोड़ रुपए) से अधिक है और सभी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्मों पर स्वयं को ऑनबोर्ड करें।

2. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया 31 मार्च, 2025 तक पूरी की जाएगी।

[फा. सं. 16/8/2018-ई-पी एंड जी/नीति]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

7222 GI/2024 (1)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2024

S.O. 4845(E).—In exercise of powers conferred by section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise numbers S.O. 5621(E), dated the 2nd November, 2018 and S.O. 5622(E), dated the 2nd November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), the Central Government hereby issues the following instructions, namely:-

All companies registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with a turnover of more than Rs. 250 crore (two hundred and fifty crore rupees) and all Central Public Sector Enterprises shall be required to get themselves onboarded on the Trade Receivables Discounting System platforms, set up as per the notification of the Reserve Bank of India.

2. The onboarding process on the Trade Receivables Discounting System platforms shall be completed by 31st March, 2025.

[F. No. 16/8/2018-E- P & G/Policy]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy. and Development Commissioner